नम्बर
अहका
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :—महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 106/2018 प्रार्थनापत्र

श्रीमती देवकंवर पत्नी श्री भगवानसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी—रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— प्रार्थीया।

बनाम

1—श्री सुरेन्द्रसिंह पिता भैरूंसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2—श्री कानसिंह पिता भैरूंसिंह राजपूत उम्र ना0बा0जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति पुष्पाकंवर पत्नि भैरूंसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3—श्री अमरसिंह पिता भैरूंसिंह राजपूत उम्र ना0बा0 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति पुष्पाकंवर पत्नि भैरूंसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

4—सागर कंवर पुत्री भैरूंसिंह राजपूत उम्र ना0बा0 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति पुष्पाकंवर पत्नि भैरूंसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

5—सोनियाकंवर पुत्री भैरूंसिंह राजपूत उम्र ना0बा0 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति पुष्पाकंवर पत्नि भैरूंसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

6—श्रीमति पुष्पाकंवर पत्नि भैरूंसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा।

7—श्री रतनसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा।

8—भंवरकंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा।

9—कैलाशकंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा।

10—छैलकंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा।

11—श्री विजेन्द्रपाल सिह पिता गंगासिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा

12—श्रीमति ओमकंवर पत्नि गंगासिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा।

13—सानूकंवर पुत्री नेनासिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा।

14—सुख्याकंवर पुत्री नेनासिंह राजपूत उम्र वयस्क नि0 रेह तहसील करेड़ा।

15—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा।

16—सपना कंवर पुत्री भैरूंसिंह ना.बा.बि.माता पुष्पाकंवर पत्नि भैरूंसिंह राजपूत नि.रेह तहसील करेड़ा।

17—पुष्पाकंवर पुत्री नेनासिंह राजपूत नि0 रेह तहसील करेड़ा। ——विपक्षीगण।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

–अधिवक्ता प्रार्थीया।

1. श्री अब्दुल रसीद पठान
2–विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश।

दिनांक–18.08.2020

:: निर्णय ::

प्रार्थीया के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आ.नं. 6254/2 रकबा 10 बिस्वा, आ0नं0 6257/1 रकबा 1.05 बीघा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा एवं आ0नं0 6254 रकबा 09 बीघा, आ0नं0 9297/6254 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, आ0नं0 6243 रकबा 02 बीघा, आ0नं0 6244 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 15.01 बीघा भूमि में आवागमन एवं कृषि यंत्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु विपक्षी सं.01 लगायात 14 की आ.नं. 6258 रकबा 0.18 बीघा के दक्षिणी भू–भाग में एवं आ.नं. 6254/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा एवं आ.नं. 6255 रकबा 0.17 बीघा गै0मु0पाल के मध्य में 16 फीट चौड़ाई के रास्ते के रूप में कायम करा, रास्ता खुलासा कर उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इस हेतु प्रार्थीया सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये सदैव से तैयार एवं तत्पर है।

प्रार्थीया का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर विपक्षीगण को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये। विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया को आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाडी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के नाम पर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आ.नं. 6254/2 रकबा 10 बिस्वा, आ0नं0 6257/1 रकबा 1.05 बीघा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा एवं आ0नं0 6254 रकबा 09 बीघा, आ0नं0 9297/ 6254 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, आ0नं0 6243 रकबा 02 बीघा, आ0नं0

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

... रास्ता को बंद करने पर आमादा है, इसके अलावा प्रार्थीया की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात पूर्व में शामलाती थी, उक्त आराजियात का बंटवाड़ा होने के बाद भी प्रार्थीया को रास्ता नही दिया गया, इसलिये मुझ खातेदार का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थीया की आराजी संख्या 6254/2 रकबा 10 बिस्वा ,

6244 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 15.01 बीघा दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर आ.नं. 6254/2 एवं आ0नं0 6257/1 पर आने–जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है परन्तु प्रार्थीया की आ0नं0 6243 एवं विपक्षी की आ0नं0 6255 की मेड़ पर प्रार्थीया की आ0नं0 6243 की तरफ एक लकड़ी की फाटक बनी हुई जिसे विपक्षीगण की आ0नं0 6255 की ओर से बंद किया हुआ है। प्रार्थीया की आ0नं0 6243 से आ0नं0 6257/1 में आने--जाने के लिये वैकल्पिक एवं निकटतम् पहुंच मार्ग विपक्षीगण की आ0नं0 6255 से ही गुजरता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक निकटतम् पहुंच मार्ग स्थित नहीं है। मौका रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगण की आ0नं06255 रकबा 0.17 बीघा किस्म गै0मु0 में से वांछित चौड़ाई 16 फीट (2 गट्ठा) एवं लम्बाई 33 फीट (4 गट्ठा) जो 528 वर्गफीट (लगभग 1/2 बिस्वा) भूमि रास्ते के रूप में आती है।

मैंने प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम करेड़ा तहसील केरड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आ.नं. 6254/2 रकबा 0.10 बीघा एवं आ0नं0 6257/1 रकबा 1.05 बीघा पर आने–जाने के लिए विपक्षीगण की आ0नं0 6255 रकबा 0.17 बीघा किस्म गै0मु0 में से वांछित चौड़ाई 16 फीट (2 गट्ठा) एवं लम्बाई 33 फीट (4 गट्ठा) जो 528 वर्गफीट (लगभग 1/2 बिस्वा) भूमि को रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार कर विपक्षीगण की आ0नं0 6255 रकबा 0.17 बीघा किस्म गै0मु0 में से वांछित चौड़ाई 16 फीट (2 गट्ठा) एवं लम्बाई 33 फीट (4 गट्ठा) जो 528 वर्गफीट (लगभग 1/2 बिस्वा) भूमि को प्राथिया की आराजियात पर कृषि कार्य हेतु आने–जाने के लिये रास्ता कायम किये जाने तथा राजस्व नक्शा में रास्ते की तरमीम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिये आरक्षित की जाने वाली 1/2 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थीया से वसूल कर विपक्षी सं. 01 लगायत 14, 16 व 17 को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे। विपक्षी सं. 01 से 14, 16 व 17 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में जमा की जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)